छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 186/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/04/2020

प्रति,

1. **समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,**
2. **समस्त संभागायुक्त**
3. **समस्त कलेक्टर**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष**

विषयः– **नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाये जाने के संबंध में दिये निर्देश के पालन हेतु।**

संदर्भः– गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 24/03/2020, दिनांक 25/03/2020, दिनांक 27/03/2020, दिनांक 02/04/2020, दिनांक 03/04/2020, दिनांक 10/04/2020 तथा दिनांक 14/04/2020

––00––

संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य शासन एवं जिला स्तर से कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तथा इन प्रयासों से निर्मित स्थिति से निपटने के लिए लॉकडाउन के संबंध में आदेश एवं दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ **गृह सचिव, भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन को 3 मई 2020 तक बढ़ाये जाने की सूचना देते हुए आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-1(A), दिनांक 14/04/2020 के माध्यम से पूर्व में जारी निर्देशों को 3 मई 2020 तक पालन करने के लिए कहा गया है।** अतः पूर्व में जारी समेकित निर्देशों अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। निर्देशों के पालन में सोशल डिस्टेंस तथा साफ–सफाई सहित सभी उपाय किये जायें जो कोरोना नियत्रंण हेतु आवश्यक हों। सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को इस संबंध में अवगत कराया जाये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

पृ.कमांकः 187 /स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner

कोरोना वायरस महामारी COVID 19 के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में समेकित दिशा–निर्देश।

1. भारत सरकार, भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं / स्वायत्त संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय बंद रहेगें।

छूट प्राप्त कार्यालयः (1) रक्षा, केन्द्रीय पुलिस बल,

(2) कोषालय, (जिसमें सम्मिलित है भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकार तथा महालेखा नियंत्रक के मैदानी कार्यालय, न्युनतम स्टॉफ सहित)

(3) सार्वजनिक सुविधाएं (पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी) विद्युत उत्पादन एवं ट्रान्समिशन युनिट, पोस्ट ऑफिस

(4) आपदा प्रबंधन एवं अरली वारनिंग एजेंसियां,

(5) एन.आई.सी.,

(6) सीमा शुल्क कार्यालय, जीएसटीएन, कम्पनी मामलों का मंत्रालय 21 रजिस्ट्री न्युनतम स्टॉफ सहित।

(7) भारतीय रिजर्व बैंक, तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट एवं संस्थाएं जैसेः NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर तथा एकल प्रायमरी डीलर न्युनतम स्टॉफ सहित।

2. राज्य सरकारों के कार्यालय, राज्य सरकारों की अधीनस्थ संस्थाओं / स्वायत्त संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय बंद रहेगें।

छूट प्राप्त कार्यालयः (1) पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपात कालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल

(2) जिला प्रशासन एवं कोषालय (जिसमें सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय एवं भुगतान एवं लेखा कार्यालय, वित्तीय सलाहकार)

(3) विद्युत, जल, स्वच्छता,

(4) नगरीय निकाय–आवश्यक सेवाओं जैसे साफ–सफाई, जल प्रदाय इत्यादि के लिए न्युनतम स्टॉफ सहित

(5) नई दिल्ली में स्थित राज्यों के आवासीय आयुक्त कार्यालय, कोरोना संक्रमण नियत्रंण गतिविधियों के समन्वय तथा आंतरिक किचन व्यवस्था हेतु न्युनतम स्टॉफ सहित

(6) वन कार्यालयः चिड़ीया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक वाहन / मानव संसाधन सहित

(7) समाज कल्याण विभाग की आवासीय संस्थाएं जिसमें बच्चों / निःशक्तजन / बेघर / वरिष्ठ नागरिक / महिलाएं / विधवा की देख–रेख हेतु संचालित हों, आबजरवेशन होम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था न्युनतम स्टॉफ सहित, EPFO द्वारा पेंशन एवं प्रॉविडेन्ट फंड की सेवाएं

(8) न्युनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मलित एजेन्सीयों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सीयां

(9) मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडीयां

उपरोक्त कंडिका 1 व 2 में अंकित कार्यालय न्युनतम मानव संसाधन से संचालित किये जायें। शेष सभी अधिकारी / कर्मचारी निवास से कार्य कर सकते हैं।

3. अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उससे जुड़े समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधी केन्द्र सहित) एवं मेडिकल इक्युपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, भारतीय रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं इत्यादि संचालित रहेंगे। चिकित्सक,नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत् स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधी व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाये।

Scanned with CamScanner

4. व्यवसायिक एवं निजी स्थापनाएं बंद रहेंगी।

छूट प्राप्त स्थापनाएंः (1) दुकानें जिसमें राशन दुकान, पीडीएस दुकान, खाद्य पदार्थ, किराना सामग्री (जिसमें साबुन, हाथ धोने की सामग्री, बॉडीवाश, सैनिटाईजर, वाशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैम्पू, टिशुपेपर, सैनिटरी नैपकिन एवं पैड इत्यादि) फल एवं सब्जी, दुध एवं दुध उत्पादों के बुथ (दूध के संग्रहण, पैकेजिंग से लेकर वितरण तक सभी पॉईन्ट), मीट एवं मछली, जानवरों के चारे संबंधित दुकानें, उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की दुकानें । यद्यपि जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को कम करने के लिए होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(2) बैंक, बीमा कार्यालय तथा एटीएम बैकिंग सेवाओं हेतु आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र तथा ए.टी.एम. संचालन व कैश मैनेजमेंट एजेसीयां सहित

(3) प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया, अखबारों की डिलिवरी सहित

(4) टेलीकॉम, इन्टरनेट सेवाएं, प्रसार एवं केबल टीवी सेवाएं। आई. टी. एवं आई.टी. आधारित सेवाएं (आवश्यक सेवाओं हेतु) न्युनतम आवश्यकता अनुसार एवं यथा संभव अधिक से अधिक निवास से कार्य के माध्यम से संचालित की जाये।

(5) ई–कामर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, दवाईयां, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी

(6) पेट्रोल पम्प, एलपीजी, गैस एजेन्सी एवं संबंधित भण्डारण केन्द्र

(7) विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिशन एवं वितरण संबंधी सेवाएं/कार्यालय

(8) सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं

(9) कोल्ड स्टोर एवं भंडार गृह सेवाएं

(10) निजी सुरक्षा सेवाएं

(11) डाटा एवं कॉल सेन्टर शासकीय गतिविधियों हेतु

(12) किसानों तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य

(13) कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर

(14) कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधी स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकाने (सप्लाई चेन) खुली रहेंगी

(15) राज्य मार्गों पर विशेषकर पेट्रोल पम्पों के साथ स्थित ट्रक रिपेयर दुकानें

(16) मछली पालन संबंधी समस्त गतिविधियां/एक्वाकल्चर उद्योग (जल कृषि), पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग, हैचरी, पूरक आहार उत्पादन युनिट, व्यवसायिक उत्पादन, मछली/झींगा के भंडारण एवं परिवहन, मछली बीज/ पूरक आहार एवं इन गतिविधियों से जुड़े हुए श्रमिक।

अन्य सभी स्थापनाओं में वर्क फ्राम होम लागू किया जायें

5. औद्योगिक स्थापनाएं बंद रहेगीं।

छूट प्राप्तः (1) आवश्यक वस्तुओं जिनमें दवाईयां, दवा उत्पाद, मेडिकल उपकरण, दवाईयों से संबंधित कच्चे माल एवं इन्टरमिडिएट उत्पाद के विनिर्माण करने वाली युनिटस

(2) राज्य शासन की अनुमति से ऐसी उत्पादन इकाईयां जिनमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो

(3) कोयला एवं खनिज उत्पादन, परिवहन, मायनिंग हेतु संबंधी विस्फोटक प्रदाय सहित अन्य गतिविधियां

(4) ऐसी इकाईयां जो खाद्य पदार्थ, दवाई, मेडिकल उपकरण हेतु पैकेजिंग मटेरियल विनिर्माण करती हों

(5) खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज के विनिर्माण एवं पैकेजिंग युनिट

(6) चाय उत्पादन इकाईयां, चाय बगान 50 प्रतिशत वर्कर सहित।

6. सभी एयर लाईन, रेल्वे, सड़क परिवहन सेवाएं स्थगित रहेगीं।

छूट प्राप्तः (1) वस्तुओं का परिवहन

(2) कानुन व्यवस्था, फायर बिग्रेड एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं

(3) कार्गो, राहत कार्य एवं फसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेल्वे, एयरपोर्ट, पोर्ट एवं उनसे संबंधित संस्थाओं का संचालन

(4) अंतर्देशीय एवं निर्यात हेतु अन्तर राज्यीय माल परिवहन परिवहन

Scanned with CamScanner

(5) अंतर्देशीय थल सीमाओं पर वस्तुओं का परिवहन जैसेः– पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी, खाद्य पदार्थ, मेडिकल सप्लाई हेतु

(6) फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि/हार्टिकल्चर मशीनरी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंर्तराज्यीय परिवहन

(7) विदेशी नागरिकों के भारत में ट्रांजिट हेतु व्यवस्था (संलग्न एसओपी अनुसार)

7. हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेगी।
छूट प्राप्तः (1) होटल, होमस्टेय, लॉज तथा मोटल जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति, पर्यटक, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधी स्टॉफ रूके हो
(2) संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से सम्पर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हीत स्थापनाएं।

8. सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान बंद रहेगें।

9. सभी प्रकार के पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेगें। किसी प्रकार के सामूहिक धार्मिक आयोजनों हेतु अनुमति न दी जाये।

10. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल–कुद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे।

11. अंतिम संस्कार हेतु 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।

12. ऐसे सभी व्यक्ति जो 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आये है तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनकों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/चिकित्सकों द्वारा निश्चित अवधि हेतु घर अथवा चिन्हीत स्थल पर आईसोलेशन में रहने के निर्देश दिये गये है, के द्वारा आदेश का पालन न करने पर आई.पी.सी. की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु उत्तदायी होगें।

छूट प्राप्तः– (1) क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों, जो 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आये, को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु (संलग्न एसओपी अनुसार)

13. जहां पर भी कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लॉकडाउन में छूट प्रदाय की गई है, उन सभी संस्थानों/नियोक्ताओं को कोरोना वायरस से बचाव तथा सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने के उपायों जैसे कि समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बतायें जाये, का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

14. कोरोना नियत्रंण के निर्देशों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में कार्यपालिक दंडाधिकारियों को क्षेत्र निर्धारित करते हुए इन्सीडेन्ट कमान्डर के रूप में तैनात करेगें जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन हेतु जिम्मेदार होगें। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेगें। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारी किया जायेगा।

15. सभी प्राधिकारी ध्यान दे कि प्रतिबंध मुख्यतः लोगों के आवागमन के संबंध में न की आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के संबंध में।

16. इन्सीडेन्ट कमान्डर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगें कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रूकावट के उपलब्ध रहे।

17. इन कोरोना नियत्रंण निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से धारा 60 तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही संबंधित व्यक्तियों के विरूद्व की जा सकेगी।

18. उपरोक्त कोरोना नियत्रंण निर्देश संपूर्ण देश में दिनांक 25 मार्च से प्रारंभ होकर आगामी 21 दिन तक के लिए लागू रहेंगे।

Scanned with CamScanner

कमांक 40–3/2020– DM-1 (A)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

भारत में फंसे हुए विदेशी नागरिकों के ट्रांजिट हेतु व्यवस्था के लिए एसओपी/मानक प्रक्रिया

समेकित निर्देशों की कंडिका–6 (7)

गृह मंत्रालय की जानकारी में यह तथ्य लाए गए है कि देश के विभिन्न स्थलों पर लॉकडाउन के कारण विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। कुछ देशों की सरकारों द्वारा भारत सरकार को अपने नागरिकों को निकालने के लिए अनुरोध किया है।

2. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अन्य देशों से अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकरणवार विचार किया जायेगा। ऐसे प्रकरण जहां विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जाये निम्नानुसार मानक प्रक्रिया का पालन किया जायेः–

(1) चारर्टर फ्लाईट की व्यवस्था नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति एवं समन्वय से संबंधित देश की सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) अपने देश को रवाना होने से पहले विदेशी नागरिकों की कोरोना संक्रमण संबंधी जांच निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार की जायेगी। केवल उन्हीं विदेशी नागरिकों को जाने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होगें। कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर उनका ईलाज निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।

(3) विदेशी नागरिकों के रूकने के स्थान से प्रस्थान तक व्यवस्था संबंधित देश के स्थानीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा की जायेगी।

(4) विदेशी नागरिकों के प्रस्थान हेतु प्रयुक्त वाहन के ट्रांजिट पास हेतु अनुमति उस राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित विदेशी नागरिका रूके हुए हैं।

(5) उपरोक्त कंडिका–4 में उल्लेख अनुसार जारी ट्रांजिट पास के आधार पर परिवहन की अनुमति मार्ग में स्थित अन्य राज्यों द्वारा दी जाये।

Scanned with CamScanner

क्रमांक 40–3/2020– DM-1 (A)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत, तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु एसओपी/मानक प्रक्रिया

समेकित निर्देशों की कंडिका–12 में छूट प्राप्त (1)

कोरोना वायरस के नियत्रंण हेतु तथा सावधानी के रूप में 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आए व्यक्तियों को शासकीय/शासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर क्वारंटीन में रखा गया था। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत निम्नानुसार प्रोटोकॉल का पालन किया जाये:–

(1) व्यक्ति/व्यक्तियों जिनका कोरोना टेस्ट निगेटिव हो, निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अनुसार क्वारंटीन स्थानों से मुक्त किया जाये। लेकिन यह समूह में क्वारंटीन में रखे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जहां पर एक भी व्यक्ति कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हो।

(2) क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित है कि वह अपने निवास, अथवा अपने परिवार/संबंधी/मित्रों अथवा अन्य स्थल जैसे:–हॉटल इत्यादि अपनी व्यवस्था से जायें।

(3) क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों के वाहन हेतु ट्रांजिट पास की अनुमति उस राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति रूके हुए थे।

(4) ट्रांजिट पास की अनुमति में मार्ग एवं समय सीमा निर्धारित की जाये जिसका पालन संबंधित क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।

(5) उपरोक्त कंडिका–4 में उल्लेख अनुसार जारी ट्रांजिट पास के आधार पर परिवहन की अनुमति मार्ग में स्थित अन्य राज्यों द्वारा दी जाये।

(6) गंतव्य स्थल पर पहुंचने क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों को अपने निवास पर उपरान्त अतिरिक्त सावधानी के लिए और 14 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए स्वयं को होम क्वारंटीन निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।

(7) क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों का विवरण उनके गंतव्य स्थल सहित संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ फॉलोअप साझा किया जाये।

Scanned with CamScanner

AJAY BHALLA, IAS

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
North Block,
New Delhi

सत्यमेव जयते

D.O.No. 40-3/2020-DM-I(A)

14th April, 2020

Dear Chief Secretary,

Hon'ble Prime Minister, in his address to the Nation today, has announced that the lockdown in India, which has been imposed to contain the spread of COVID-19 pandemic, will have to be extended till May 3, 2020. In pursuance of this announcement, and on the directions of the National Disaster Management Authority (NDMA), issued on April 14, 2020, I, as Chairperson, National Executive Committee(NEC), have issued directions to all the Ministries/Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and Authorities, that the lockdown measures stipulated in the Consolidated Guidelines of MHA, for containment of COVID-19 pandemic in the country, will continue to remain in force upto May 3, 2020. A copy of the Order dated April 14, 2020, issued under the Disaster Management Act, 2005, is herewith enclosed.

2. With the extension of the lockdown, all restrictions that have been imposed in various sectors, and on various activities, will continue to remain in force. These restrictions, which have been spelt out in the Consolidated Guidelines of MHA, must be enforced strictly, by all Ministries/Departments of the Government of India, and by State/Union Territory Governments and Authorities.

3. It is emphasized that as per the orders issued by MHA under the Disaster Management Act, 2005, the States/Union Territories cannot dilute restrictions imposed vide the aforesaid guidelines.

4. I would again urge you to strictly implement the directions issued by MHA, under the Disaster Management Act, 2005, as contained in the Consolidated Guidelines, without any dilution of the same.

With regards,

Yours sincerely,

14/04/2020

(Ajay Bhalla)

Encl : as above.

Chief Secretaries of All States
(As per standard list)

Scanned with CamScanner

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 14th April, 2020

ORDER

Whereas under directions of the National Disaster Management Authority (NDMA)'s Order dated 24.03.2020, and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, issued directions vide Order of even number dated 24.03.2020 to all Ministries/ Departments of Government of India, State/ Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities, with the guidelines to implement lockdown measures, to contain the spread of COVID-19, in all parts of the country for a period of 21 days with effect from 25.03.2020;

Whereas, the guidelines to implement lockdown measures were further modified on 25.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020 and 10.04.2020 and consolidated guidelines are placed on the website of Ministry of Home Affairs (MHA);

Whereas, NDMA after assessing the situation on COVID-19 epidemic is satisfied that strict social distancing measures need to be implemented for a further period so as to effectively contain the spread of COVID-19 in the country;

Whereas in exercise of the powers under section 6(2)(i) of the Disaster Management Act, 2005, NDMA has issued an Order number 1-137/2018-Mit-II (FTS-10548) dated 14.04.2020 (copy enclosed) directing the Chairperson, National Executive Committee that existing lockdown measures be continued to be implemented in all parts of the Country, upto 03.05.2020.

Whereas under directions of the aforesaid Order of NDMA, and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues directions to all the all Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/Union Territory Authorities that the Lockdown measures stipulated in aforesaid Consolidated Guidelines of MHA for containment of COVID-19 epidemic in the country, will continue to remain in force upto 03.05.2020 to contain the spread of COVID-19 in the country.

14/04/2020
Union Home Secretary

To:
1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
   (As per list attached)

Copy to:
i. All members of the National Executive Committee.
ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Scanned with CamScanner

Government of India
National Disaster Management Authority
"NDMA Bhawan",
A-1, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.

===

No.1-137/2018-Mit-II(FTS-10548) Dated, the ~~13th~~ 14th April, 2020.

ORDER

On 24th March, 2020, the National Disaster Management Authority directed the Ministries/Departments of Government of India, State Governments and State Authorities to take measures for ensuring social distancing so as to prevent the spread of COVID 19 in the country. These measures are in force for a period of 21 days w.e.f. from 25th March 2020. Detailed guidelines and addenda were issued by National Executive Committee from time to time under section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005.

2. Considering the fact that strict social distancing measures need to be implemented for a further period to contain the spread of COVID 19, the National Authority, in exercise of powers under Section 6 (2) (i) of the Disaster Management Act, 2005, directs the Ministries/Departments of Government of India, State Governments and State Authorities to continue the same measures for social distancing upto 3rd May, 2020. In this regard the guidelines/orders issued by NEC shall continue to be applicable throughout the country. The Authority further directs NEC to issue modifications in the guidelines as necessary, keeping in view the need to contain the spread of COVID 19.

14/4/2020

Member Secretary, NDMA

To

Union Home Secretary,
North Block, New Delhi 110011

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner